प्रस्ताव से संबंधित वैधानिक नियमों की व्याख्या करें।

उत्तर :- **प्रस्ताव का अर्थ एवं परिभाषा**

(1) **पोलक के अनुसार :-**

"किसी व्यकित के द्वारा स्वेच्छा से स्पष्ट शब्दो के आधार पर किसी ठहराव का पत्रकार बनने की इच्छा की च्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है।

(2) **भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा २(a) के अनुसार:-**

जब एक व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उधेश्य से प्रकट करे की उस व्यक्ति की सहमती उस कार्य को करने या विरत रहने के संबंध मे प्रप्त हो। ऐसा कार्य प्रस्माव कहलाऐगा।

भारतीय अनुबंध अधिनियम तथा विभिन्न न्यायाधीशो के द्वारा सुनाए गए फैसलों के आधार पर प्रस्ताव से संबंधित वैधानिक नियम निम्न प्रकार है।

(1) पस्ताव पुर्ण निश्चत स्पष्ट एवं अपतिम हो।

(2) वैधानिक दायित्य उत्तपन्न करता हो।

(3) प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है।

(4) प्रस्तपव के तवशिष्ट शर्तो का संवहन ।

(5) प्रस्ताव विनयपुर्वक हो आज्ञा के रुप मे नहीं।

(6) प्रस्ताव स्वीकृति प्राप्त करने के उधेश्य से किया गया हो।

(7) प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है।

(8) प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्नित हो सकता है।

(9) प्रस्ताव के लिए निमंत्रण प्रस्तपव नही ळें

-: व्याख्या :-

(1) **प्रस्ताव पूर्ण, निश्चित, स्पष्ट तथा अंतिम हो :-**

प्रस्ताव तभी वैधानिक माना जाएगा जबकि, वह पूर्ण, निश्चित तथा स्पष्ट साथ ही अंतिम हो।

(2) **वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना :-**

कोई भी प्रस्ताव वैधानिक तभी माना जाएगा जब वह वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता हो। साथ में घुमना, नौका, बिहार करना या सिनेमा देखने के लिए किया गया प्रस्ताव वैधानिक दायित्व उत्पन्न नही करता है।

(3) **प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है :-**

किसी विशेष व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है तथा सामान्य जनता के सम्मुख किया गया प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव कहलाता है। प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है।

(4) प्रस्ताव की विशेष शर्तों का संवहन :-

प्रस्ताव करते समय प्रस्ताव से संबंधित विशिष्ट शर्तों का संवहन आवश्यक है, अन्यथा ये शर्तों लागू नहीं होंगी। ''अ'' ने ''ब'' को कार बेची प्रस्ताव करते वक्त उसने कहा यदि कार दो माह के भीतर खराब होगी तो वह कार को वापस ले लेगा कार तीसरे माह में खराब हो गयो यहाँ शर्तों के आधार पर ''अ'' उत्तरदायी नहीं है।

(5) प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए आज्ञा के रूप में नहीं :-

यदि प्रस्ताव करते समय यह कहा जाए दो दिन में सहमती नहीं मिलने को मैं सहमती मान लूंगा यह एक अवैध प्रस्ताव है क्यूंकी इसमें आज्ञा का भाव स्पष्ट है।

(6) प्रस्ताव स्विकृति प्राप्त करने के उद्येश्य से होना चाहिए :-

किसी भी व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्येश्य से करना चाहिए। सिर्फ घोषणा कर देना प्रस्ताव नहीं कहलाता है।

(7) प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है :-

जब हम किसी व्यक्ति को प्रस्ताव करते है तो उसे हमारे द्वारा किए गए प्रस्ताव की जानकारी होना नितांत आवश्यक है, ताकि वह अपनी सहमति या असहमति दे सकें।

(8) प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है :-

जब प्रस्ताव बोलकर या लिखकर किया जाता है तो वह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य तरिके से प्रस्ताव किया जाए तो वह गर्भित प्रस्ताव कहलाता है।

(9) प्रस्ताव के लिए निमंत्रण प्रस्ताव नहीं है :-

यदि हम किसी व्यक्ति के समक्ष उसे प्रस्ताव करने का निमंत्रण देते है तो यह प्रस्ताव नहीं कहलाता है।